न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा
वरजी बाई बनाम कालु
GCMS No- 2023/8
प्रकरण संख्या 5/2023

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 05/2023
जीसीएमएस न0 2023/8

वरदीबाई पुत्री मोहनलाल जी जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी धनोरा तह० निम्बाहेडा (राज0)
...............प्रार्थिया

बनाम

1. कालु पुत्र मोहनलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा,
2. गुलाबचन्द पुत्र मोहनलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवसी धनोरा
3. सुरेश पिता चांदमल उर्फ चांदू जाति जाट आयु वयस्क निवासी धनोरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. निर्मलाबाई पुत्री चांदमल उर्फ चांदू पत्नी मदन जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा हाल मु० लसडावन तह निम्बाहेडा
5. प्रेमबाई पुत्री चांदमल उर्फ चांदू पत्नी जगदीश जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा हाल मु० परसाखेडा तह0 कपासन
6. मगनीबाई पत्नी चांदमल उर्फ चांदू जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा तह0 निम्बाहेडा राज०
7. मदन पिता चांदमल उर्फ चांदू जी जाति जाट उम्र 45 साल निवासी धनोरा
8. माधवलाल पिता भूरालाल जी जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी धनोरा
9. कामुबाई पत्नी गोपीलाल जी जाति गायरी उम्र 40 साल निवासी धनोरा तह0 निम्बाहेडा
10. माधु पिता हजारी जी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी धनोरा
11. गिरधारीलाल पिता मथरालाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा तह0 निम्बाहेडा
12. भेरूलाल पिता गुलाबचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा तह0 निम्बाहेडा राज०
13. भूरी पत्नी गुलाबचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा
14. भँवरलाल पुत्र गुलाबचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा
15. सोसरबाई पत्नी चांदू जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनोरा
16. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०
17. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेडा राज०

प्रार्थना पत्र धारा 212 रा०का० अधि०
दावा– धारा 53, 88, 188, 209 रा०का०अधि0
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री सआदत अली
अधिवक्ता अप्रार्थी विपक्षी संख्या 1,2 और से – श्री सुरेन्द्र ओझा
अधिवक्ता अप्रार्थी विपक्षी संख्या 3 और से – श्री अनीता चौधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 23.05.2023

1. संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 212 रा०का०अधि. 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थिया [illegible] वादीया ने न्यायालय हाजा में उपरोक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है जो ठोस आधारो पर आधारित होने से आगे चलकर वादीया के पक्ष में डिक्री होगा। यहकि प्रार्थिया एवं विपक्षीयागण की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है खाता सं0 286 की आराजी नं0 1303 रकबा 0.05 हैक्टेयर लगान 0.10 रूपये आराजी

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

न. 89 रकबा 0.17 हैक्टेयर लगान 0.51 रूपये आराजी न. 90 रकबा 1.20 हैक्टेयर लगान 1.20 रूपये ,अराजी न. 91 रकबा 0.29 हैक्टेयर लगान 0.29 रूपये कुल किता 04 रकबा 1.71 हैक्टेयर कुल लगान 28 रूपये 92 पैसे इसी प्रकार खाता संख्या 241 की आराजी 36 रकबा 2.39 हैक्टेयर लगान 45 रूपये 41 पैसे इसी प्रकार खाता सं0 244 की आराजी नम्बर 1143 रकबा 0.09 आराजी नम्बर 1144 रकबा 0.0200 आराजी नम्बर 1304 रकबा 0.0300 आराजी नम्बर 1305 रकबा 0.0300 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1700, इसी प्रकार खाता सं0 232 की आराजी नं0 1344 रकबा 0.9900 हैक्टेयर लगानी 4.158 रूपये, इसी प्रकार खाता सं0 62 की आराजी 33 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी 34 रकबा 0.6500 हैक्टेयर लगान 12.35 रूपये आराजी न. 62 रकबा 0.3300 हैक्टेयर लगान 06.27 रूपये कुल किता 3 रकबा 0.99 लगान 18.62 रूपये ,इसी प्रकार खाता संख्या 245 की आराजी न. 132 रकबा 2.71 हैक्टेयर स्थित है।

2. यहकि उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थिया के पिता के समय की है और प्रार्थिया के पिता की मृत्यु हुई और विरासत से नामान्तरकरण सं0 306 दिनांक 23.09.1977 को खुला तो उसमें प्रार्थिया का नाम विरासत में दर्ज नहीं किया जबकि प्रार्थिया अपने पिता की मृत्यु से पहले ही गांव धनोरा में निवास कर रही हैं क्योंकि प्रार्थिया की पूर्व में शादी गांव कश्मोर जिला चित्तौडगढ में हुई थी लेकिन प्रार्थिया के कोई पुत्र नहीं होने और थोड़े दिनो बाद ही कम समय में पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद से प्रार्थिया अपने पिता जी के पास ही रह रही है प्रार्थिया के पिता के जीवनकाल में ही प्रार्थिया का गुजर बसर चले इसके लिये प्रार्थिया को उसके पिता जी ने ही अपने जीवनकाल में प्रार्थिया को उसके हक हिस्से की जमीन एक पुत्री के रूप में दे दी, तभी से प्रार्थिया बिना किसी दखल अन्दाजी के उक्त जमीन का उपयोग उपभोग शांति पूर्ण तरीके से करती चली आ रही हैं। प्रार्थिया के परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

मोहनलाल पिता प्रताप जी (फौत) –

1.वरदीबाई (पुत्री/प्रार्थिया) 2.हजारी (फौत) 3.चांदमल (फौत) 4.कालु (पुत्र) 5.गुलाबचन्द (पुत्र)

2.हजारी (फौत) – माधु–(पुत्र)

3.चांदमल (फौत)–01.मदनलाल(पुत्र)02.सुरेश(पुत्र)03.प्रेमबाई(पुत्री)04.निर्मला(पुत्री)05.मगनीबाई(बेवा)

उपरोक्त के प्रार्थिया के पिता के समय की होकर प्रार्थिया के पिता कि मृत्यु होने पर विरासत से नामान्तरण संख्या 305 दिनांक 23.09.1977 द्वारा प्रार्थिया के पिता कि भूमि प्रार्थिया के चारो भाईयों के नाम दर्ज कर दी गई और प्रार्थिया का नाम दर्ज नही किया गया। जबकि प्रार्थिया के पिता मोहन लाल पिता प्रताप के वारिसान में चार पुत्र 1हजारी (फौत) 2.चांदमल (फौत) 3.कालु (पुत्र) 4. गुलाबचन्द (पुत्र) एवं एक पुत्री वादी स्वयं है। वादीया विधवा होकर अपने पीहर धनोरा मे ही अपने पिता के साथ निवास करती आ रही थी। एवं मेरे पिता ने स्वयं अपने जीवन काल में ही प्रार्थिया के भरण पौषण हेतु वादग्रस्त आराजियात में से प्रार्थिया के हक हिस्से की जमीन प्रार्थिया को दे दी गई थी। और प्रार्थिया बिना किसी दखल अन्दाजी के उक्त जमीन का उपयोग उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से करती चली आ रही है।

3. यहकि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजियात में मोहनलाल जी के हिस्से में से प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जाये तथा हजारी, [illegible], कालु, गुलाबचन्द का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जाये। हजारी [illegible] उसके 1/5 हिस्से का वारिस माधु है एवं चांदमल फौत होने से उसके 1/5 हिस्से के वारिस मदनलाल, सुरेश, प्रेमबाई, निर्मला है तथा कालु का 1/5 एवं गुलाबचन्द का 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जायें एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया का हक हिस्सा दर्ज कराया जायें।

चूंकि माधु ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया और वर्तमान में माधु के हिस्से कि जमीन पर कामुबाई काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

यह कि खाता सं0 286 की आराजियात में सुरेश का 1/25 हिस्सा एवं विपक्षीया कामुबाई का 1/5 हिस्सा, कालु गुलाबचन्द का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा एवं निर्मला प्रेमबाई, मगनी, मदनलाल का प्रत्येक का 1/25 –1/25 हक हिस्सा घोषित फरमाया जायें एवं प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जायें।

इसी प्रकार खाता सं0 241 की आराजियात में खातेदार कालु गुलाबचन्द पिता मोहनलाल का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा तथा निर्मलाबाई, प्रेमबाई, मगनीबाई, मदन एवं सुरेश पिता चांदू का प्रत्येक का 1/25– 1/25 हिस्सा निहित हैं तथा माधवलाल पिता भूरालाल का 1/5 हिस्सा एवं प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जायें।

खाता संख्या 244 की आराजियात में सुरेश का 1/50 हिस्सा एवं निर्मला बाई ,प्रेम बाई ,मगनी बाई, मदनलाल पिता चान्दु का प्रत्येक का 1/50–1/50 हक हिस्सा निहित है कामु बाई का 1/20 हिस्सा है। गंगा का 1/20 हिस्सा है। परन्तु गंगा फौत हो गई। जिसका वारीस माधु है। इसी प्रकार कालु, ,गुलाबचन्द ,नाना पिता नौला का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा भैरूलाल, भूरी भंवर लाल ,मोत्याबाई, संतोषबाई, सोसर बाई प्रत्येक का 1/30–130 हक हिस्सा घोषित फरमाया जायें। एवं प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा घोषित फरमाया जायें।

इसी प्रकार खाता सं0 245 की आराजियात पुश्तैनी होने से इसमें वादीया का 1/5 हक हिस्सा घोषित फरमाया जावे।

इसी प्रकार खाता सं0 232 की आराजियात में कालु का 1/5, गुलाबचन्द का 1/5. प्रार्थिया का 1/5 एवं मगनीबाई का 2/5 हिस्सा घोषित फरमाया जाये, क्योंकि मंगनीबाई ने प्रार्थिया के भाई हजारी के पुत्र माधु से उसका 1/5 हिस्सा खरीद लिया था. इसलिये उक्त आराजियात में मगनीबाई का 2/5 एक हिस्सा घोषित फरमाया जायें।

इसी प्रकार खाता संख्या 62 की आराजियात को कालु एवं चांदमल ने प्रार्थिया के हिस्से को शामिल करते हुए पुश्तैनी आराजियात को अन्य को आपसी विनिमय में देकर उक्त आराजी को आपसी विनिमय से प्राप्त की थी, इसलिये उक्त आराजियात में प्रार्थिया का 20/91 हिस्सा घोषित फरमाया जाये एवं कालु का 21/91 हिस्सा घोषित फरमाया जाये, निर्मला प्रेमबाई, मगनीबाई मदनलाल एवं सुरेश का प्रत्येक का 10/91–10/91 हक हिस्सा बदस्तूर दर्ज रेकार्ड रखाया जावे।

यहकि प्रार्थिया एवं अन्य सभी खातेदार उक्त आराजियात पर आपसी बाहमी तौर से मौके पर काबिज है तथा अपने अपने हक हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है ,किन्तु प्रार्थिया का नाम उक्त आराजियात में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होकर रिकार्ड में बटवाडा नही होने से उक्त आराजियात के सहखातेदार विशेष किमती भूमि को रहन, बय, बक्षीश एवं अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थिया का हक हिस्सा घोषित करवा मौके पर बटवाडा करवाने हेतु निवेदन किया एवं उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक्स सहखातेदारान को उक्त आराजियात बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को सूचना पत्र तलब किया गया, बाद तामिल अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा ने विपक्षी 1 व 2 की और से वकालतनामा पेश कर निवदेन किया की विवादीत भूमि काकू बाई पत्नि गोपीलाल, कालु पिता मोहन लाल, गुलाबचंद पिता मोहनलाल, रामेश्वरलाल पिता उंकारलाल जाट के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है, तथा अन्य की शामलाती खातेदारी में चली आ रही है. परन्तु प्रार्थिया की शामलाती खातेदारी में नहीं है। प्रार्थिया के पिता का नाम मोहनलाल है, और मोहनलाल जी की मृत्यु के बाद नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 23.09.1977 को प्रार्थिया की सहमति से मोहनलाल जी के चारों पुत्र कालु,

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

गुलाबचंद, चांदमल व हजारी के नाम नामांतरण खुला था. प्रार्थिया ने अपना हिस्सा स्वेच्छा से अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया था। और प्रार्थिया का कोई कब्जा नहीं हैं, प्रार्थिया अपने ससुराल कशमोर जिला चित्तौडगढ में रह रही है, अपने गोदी पुत्र मदन के साथ कशमोर में अपने ससुराल की सम्पत्ति पर काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थिया का ग्राम धनोरा में किसी भी मकान पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही कोई विवादित कृषि भूमि पर कब्जा है, अतः प्रार्थिया का 1/5 वां हिस्सा होना स्वीकार नहीं है,प्रार्थिया द्वारा लोगो के बहकावे में आकर गलत दावा पेश कर दिया जो स्वीकार योग्य नही है।

5. विपक्षी संख्या 3 की और से श्री अनिल कुमार चौधरी ने अण्डरटेकिंग/वकालतनामा पेश किया जवाब पेश नही किया सीधी बहस का निवेदन किया, शेष विपक्षी संख्या 4 से 15 अनुस्थित रहे, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न न्यायालयो के निर्णय के नजीर पेश कि गई।
न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
RRD निगरानी संख्या/141/2000/टीए/श्रीगंगानगर
RBJ (27) 2020 निगरानी /टी.ए./5440/2013/पाली

7. विद्वान अधिवक्ता बहस की सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत नजीरो को उक्त प्रकरण के संबंध में अध्ययन किया गया । राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । है।सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है जोकि इस प्रकार है–

> *212. Provision for injunction and appointment of a receiver— (1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —*
> *(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or*
> *(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.*
>
> *(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजियात [illegible] लाल पिता प्रताप के चार पुत्र हजारी, चांदमल, कालु, गुलाबचन्द एवं [illegible] बाई है। नामान्तरण संख्या 306 दिंनाक 30.09.1977 को [illegible] पिता मोहनलाल के फौत होने के बाद विरासत से सम्पत्ती प्रार्थिया के हिस्से में आई, जिसमें प्रार्थिया का नाम नही आया उक्त भूमि का भू–प्रबंधन के बाद नये खसरा नम्बर आधार पर वर्तमान में हक हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में अवगत कराया की यह उनकी पुश्तेनी सम्पत्ती है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब एवं बहस में यह कही नही बताया कि विपक्षी की स्व अर्जित सम्पत्ती है, हमने दस्तावेजो का अध्ययन किया

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

जिसमें जमाबन्दी संवत् 2077–80 ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा की यह । कि **खाता सं0 286 की** आराजियात में कामुबाई का 1/4 हिस्सा, **कालु गुलाबचन्द का प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा एवं निर्मला प्रेमबाई, मगनी, मदनलाल ,सुरेश का प्रत्येक का 1/20 –1/20 हक हिस्सा** एवं प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा इसी प्रकार **खाता सं0 241** की आराजियात में खातेदार **कालु, गुलाबचन्द पिता मोहनलाल का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा** तथा **निर्मलाबाई, प्रेमबाई, मगनीबाई, मदन एवं सुरेश पिता चांदू का प्रत्येक का 1/20– 1/20 हिस्सा निहित हैं तथा माधवलाल पिता भूरालाल का 1/4 हिस्सा** एवं प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा । **खाता संख्या 244** की **निर्मला बाई ,प्रेम बाई ,मगनी बाई, मदनलाल, सुरेश पिता चान्दु का प्रत्येक का 1/40–1/40 हक हिस्सा निहित है कामु बाई का 1/16 हिस्सा है। गंगा पत्नि हजारी का 1/16 हिस्सा है। इसी प्रकार कालु, ,गुलाबचन्द पिता मोहनलाल ,नाना पिता नौला का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा तथा भैरूलाल, भूरी भंवर लाल ,मोत्याबाई, संतोषबाई, सोसर बाई प्रत्येक का 1/24–1/24 हक हिस्सा** । इसी प्रकार **खाता सं0 245** की आराजियात **कामुबाई पत्नि गोपीलाल 1/4, कालु पिता मोहनलाल 83/1004 गुलाबचन्द पिता मोहनलाल 1/4, रामेश्वरलाल पिता उंकार लाल 419/1004** इसी प्रकार **खाता सं0 232** की **आराजियात में कालु का 1/4, गुलाबचन्द का 1/4. मगनीबाई का 1/2 हिस्सा,** इसी प्रकार **खाता संख्या 62** की आराजियात को **कालु पिता मोहनलाल का 41/91 हिस्सा, निर्मला प्रेमबाई, मगनीबाई, मदनलाल एवं सुरेश का प्रत्येक का 10/91–10/91** हक हिस्सा है। उक्त हक हिस्से में प्रार्थिया श्रीमती वरदी बाई जो मोहनलाल की वारिसान है वरदी बाई अपने भाईयों के हिस्से में आई भूमि अपने स्वयं का 1/5 हिस्सा खातेदारी घोषणा का मूलवाद पेश किया । एवं उक्त सभी खातों पर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया ।

8 उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु हैं जिनका प्रकरण में विश्लेषण इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टीया मामला–किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् जमाबन्दी संवत 2077–2080 वाकै ग्राम ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है खाता सं0 286 की आराजी नं0 1303 रकबा 0.05 हैक्टेयर लगान 0.10 रूपये आराजी न. 89 रकबा 0.17 हैक्टेयर लगान 0.51 रूपये आराजी न. 90 रकबा 1.20 हैक्टेयर लगान 1.20 रूपये ,अराजी न. 91 रकबा 0.29 हैक्टेयर लगान 0.29 रूपये कुल किता 04 रकबा 1.71 हैक्टेयर कुल लगान 28 रूपये 92 पैसे इसी प्रकार खाता संख्या 241 की आराजी 36 रकबा 2.39 हैक्टेयर लगान 45 रूपये 41 पैसे इसी प्रकार खाता सं0 244 की आराजी नम्बर 1143 रकबा 0.09 आराजी नम्बर 1144 रकबा 0.0200 आराजी नम्बर 1304 रकबा 0.0[illegible] रकबा 0.0300 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1700, इसी प्रकार खाता सं0 232 की आरा[illegible] 4 रकबा 0.9900 हैक्टेयर लगानी 4.158 रूपये, इसी प्रकार खाता सं0 62 की आराजी [illegible] 0100 हैक्टेयर आराजी 34 रकबा 0.6500 हैक्टेयर लगान 12.35 रूपये [illegible] न. 62 रक[illegible] 3300 हैक्टेयर लगान 06.27 रूपये कुल किता 3 रकबा 0.99 लगान 18.62 [illegible] इसी प्रकार खाता संख्या 245 की आराजी न. 132 रकबा 2.71 हैक्टेयर स्थित है। इन सभी आराजियात में प्र[illegible]या के भाईयों का हक हिस्सा कब्जा है। उक्त वाद वर्णित आराजियात भू–प्रबंधन के पूर्व खाता साबिक नम्बर खाता संख्या 130 आराजी नम्बर 30,78,79,80,113,1080,1081 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा मोहनलाल पिता प्रताप जाति जाट इसी प्रकार खाता संख्या 131 आराजी नम्बर 861,862 रकबा 10 बिस्वा एवं इसी प्रकार खाता संख्या 129 आराजी नम्बर 1082,1083 रकबा 6 बिस्वा में मोहन पिता प्रताप जाट का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिसका भू–प्रबंधन के बाद नये नम्बर वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार है। प्रार्थिया के पिता मोहनलाल पिता प्रताप की पुश्तेनी भूमि होने एवं प्रार्थिया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purnadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से तथा हिन्दु उतराधिकार अधिकार के अनुसार पुत्रीयों को भी पिता कि पैत्रक सम्पत्ति में भाई के बराबर हक हिस्सा है। चुकि यह निर्णय मूलवाद में साक्ष्य गवाह,से गुणागुण आधार पर तय होना है। अतः प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थिया के पक्ष में होने एवं प्रार्थिया के भाई एवं उनके वारिसानो को प्रार्थिया के हिस्से को सुरक्षित रखा जाना न्याय हित में आवश्यक है क्योंकि प्रार्थिया के भाईयो एवं वारिसानो के द्वारा उक्त भूमि का बेचान करने से वाद की बहुलता बढती है जिससे न्याय हित में रोका जाना आवश्यक है।

अपूरणीय क्षतिः—किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थिया के पक्ष में है प्रार्थिया उस विवाजित आराजित को सुरक्षित करने का अधिकार है। क्योकि उक्त विवादित आराजियात का बेचान होने से वाद कि बहुलता बढने से नये पक्षकारो के आने से विवाद बढेगा जिससे प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थिया को मोहनलाल पिता प्रताप के कुल भूमि के 1/5 हिस्से के उसके वारिसानो से सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः—किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीया शर्त है। विवाजित आराजी में प्रथम दृष्टिया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष है।

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है कि मोहनलाल पिता प्रताप के वारिसान विपक्षी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,10, प्रार्थिया का भाई जिसमें कालु पुत्र मोहन लाल ,गुलाबचन्द पिता मोहनलाल, चान्दमल के वारिसान सुरेश, निर्मला, प्रेमबाई ,मदन, पिता चांदमल एवं मगनी बाई पत्नि चांदमल ,एवं हजारी के वारिसान माधु पुत्र हजारी को **वाद के अंतिम निर्णय तक अपने हक हिस्से कि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या सवंत् 2077— 80 ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा के खाता संख्या 286 के आराजी नम्बर 1303 ,89,90 91 कुल रकबा 1.71 हैक्टेयर, खाता संख्या 241 आराजी नम्बर 36 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खाता संख्या 244 आराजी नम्बर 1143,1144,1304,1305 कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर, खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 1344 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खाता संख्या 62 आराजी नम्बर 33,34,62 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 132 रकबा 2.71 हैक्टेयर, में दर्ज है** अपने हक हिस्से कब्जे कि कुल भूमि मे से 4/5 से अधिक का बेचान नही करे । समस्त पक्षकार वाद के अंतिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है।

निर्णय

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी /अप्रार्थी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,10, जो मोहनलाल पिता प्रताप के वारिसान एवं प्रार्थिया का भाई जिसमें कालु पुत्र मोहनलाल ,गुलाबचन्द पिता मोहनलाल, चान्दमल के वारिसान सुरेश, निर्मला, प्रेमबाई ,मदन, पिता चांदमल एवं मगनी बाई पत्नि चांदमल ,एवं हजारी के वारिसान माधु पुत्र हजारी को इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वाद के अंतिम निर्णय तक अपने हक हिस्से कि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या सवंत् 2077— 80 ग्राम धनोरा पटवार हल्का फलवा के खाता संख्या 286 के आराजी नम्बर 1303 ,89,90 91 कुल रकबा 1.71 हैक्टेयर, खाता संख्या 241 आराजी नम्बर 36 रकबा 2.39 हैक्टेयर, खाता संख्या 244 आराजी नम्बर 1143,1144,1304,1305 कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर, खाता संख्या 232 आराजी नम्बर 1344 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खाता संख्या 62 आराजी नम्बर 33,34,62 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर, खाता संख्या 245 आराजी नम्बर 132 रकबा 2.71 हैक्टेयर, में दर्ज है

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1,2,3,4,5,6,7,10, जो मोहनलाल पिता प्रताप के वारिसान एवं प्रार्थिया का भाई जिसमें कालु पुत्र मोहनलाल ,गुलाबचन्द पिता मोहनलाल, चान्दमल के वारिसान सुरेश, निर्मला, प्रेमबाई ,मदन, पिता चांदमल एवं मगनी बाई पत्नि चांदमल ,एवं हजारी के वारिसान माधु पुत्र हजारी अपनी राजस्व अभिलेख में दर्ज कुल भूमि का मे से 4/5 से अधिक का बेचान नही करे ।

निर्णय खुले इसलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर मुलवाद के साथ सलग्न हो।

23/5/23

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:36 IST
Reason: SelfAttested